297

405

न्यायम0 श्री माना सदस्य महोदय , राजस्व मंडल सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

R 5131-II/17

शिव मूरत पिता राम कृपाल भुर्तिया उम्र 65 वर्ष नि0 ग्राम रजहा तह0 त्यौथर जिला रीवा म0प्र0 ---- निगरानी कर्ता

बनाम

राजेश भुर्तिया तनय बाबादीन भुर्तिया नि0 ग्राम रजहा तह0 त्यौथर जिला रीवा म0प्र0 ---- रेस्प0/गैर निग0 कर्ता

अधि0श्री अखलेन्द्र मिश्रा. द्वारा प्रस्तुत 27-3-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध निर्णय अनुविभागीय अधिकारी तह0 त्यौथर के प्रकरण क्र0- 33 /ए-75/अपील/016-17 मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक - 9-3-017,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर

निगरानी / आवेदन पत्र के आधार निम्न लिखित हैः--

(1) यह कि अधी0 न्याया0 द्वारापारित अंतरिम आदेश विधि प्रक्रिया के प्रतिकूल होने के कारण सव्यय निरस्तगी योग्य है ।

(2) यह कि गैर निगरानी कर्ता द्वारा तहसीलदार तह0 त्यौथर के समक्ष निगरानी कर्ता का नाम बी0 पी0 एल0 सूची से हटाये जाने बावत आवेदन पत्र दिया था जिसमे तहसीलदार त्यौथर ने बगैर निगरानी कर्ता के सूचना दिये ही एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए दि0- 16-12-016 को आदेश पारित किया , संयोग से उसी दिनांक को निगरानी कर्ता को प्रकरण के सम्बन्ध मे जानकारी हुई और वह तहसीलदार त्यौथर के यहाँ जाकर अपना पक्ष समर्थन रखते हुए धारा 32 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार त्यौथर ने विधि संमत आदेश पारित करते हुए उसी दिनांक को पूर्व मे किये गये आदेश को निरस्त कर दिया और प्रकरण मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी त्यौथर को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया तथा प्रकरण को निर्णीत किया जिसके विरुद्ध गैर निगरानी कर्ता ने अनुविभागीय अधिकारी

क्रमशः---

(297)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 5131–II / 2017 जिला–रीवा

शिवमूरत भूर्तिया / राजेश भुर्तिया

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता अरूणेन्द्र मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील त्योंथर के प्रकरण क्रमांक 33 / अ–74 / अपील / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 09.03.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा) सदस्य	